भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-255

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है ।

जलविद्‌युत उत्पादन के लिए टैरिफ प्रणाली

255. श्री संजय काका पाटील:

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जलविद्‌युत उत्पादन के लिए दो भाग वाली टैरिफ प्रणाली के प्रयोग को हटाने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि जल विद्‌युत उत्पादन की कोई परिवर्तनीय लागत नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विकासकर्ताओं को निश्चित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए एक नई टैरिफ प्रणाली विकसित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्‌युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्‌वारा उत्पादन स्टेशनों के लिए द्‌विभागीय टैरिफ संरचना अपनाई गई है जो उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के सिद्‌धांतों पर आधारित है। टैरिफ के पहले भाग अर्थात् क्षमता प्रभार की वसूली उत्पादक स्टेशनों द्‌वारा उपलब्धता की घोषणा के आधार पर की जाती है। जबकि दूसरे भाग अर्थात् ऊर्जा प्रभार की वसूली क्रेताओं द्‌वारा दिए गए शेड्‌यूल के आधार पर की जाती है। एबीटी के इस ढांचे को आयोग द्‌वारा अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व के एकल भाग टैरिफ की कुछ चिंताओं का समाधान करने के लिए अपनाया गया था। एकल भाग टैरिफ संरचना में, उत्पादक कुल उत्पादन के आधार पर राजस्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, एकल भाग टैरिफ संरचना में उत्पादकों द्‌वारा प्रणाली मांग नहीं होने पर भी ओवर-इंजेक्शन के प्रतिकूल प्रोत्साहन का तत्व भी निहित था। द्‌विभागीय टैरिफ संरचना से अपेक्षित ग्रिड अनुशासन के साथ उत्पादकों की उचित लागत की वसूली सुनिश्चित हुई है। जल विद्‌युत उत्पादक स्टेशनों के लिए, वार्षिक निश्चित प्रभार (एएफसी) को क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित किया गया है ताकि ऐसे उत्पादक स्टेशनों को एबीटी के ढांचे के साथ संरेखित किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे जल विद्‌युत उत्पादक स्टेशनों को क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार के बीच एएफसी के पृथक्करण के कारण हानि न उठानी पड़े, विनियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार के अधीन उत्पादक कंपनियों के साथ-साथ उन उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन, जिनके पास एक से अधिक राज्य में विद्‌युत के उत्पादन और बिक्री की समग्र स्कीम है, विद्‌युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अनुसार सीईआरसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीईआरसी विद्‌युत अधिनियम, 2003 की धारा-76 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है, जिसे अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।

****